भारत के नए रासायनिक नियम

UPSC प्रासंगिकता –

- **प्रिलिम्स**: 2025 के "पर्यावरण संरक्षण (संदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम" प्रिलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पर्यावरणीय कानूनों, CPCB की भूमिका, और खतरनाक कचरे के प्रबंधन से संबंधित हैं।
- **मेन्स -** ये नियम GS2 (नीतियां, शासन) और GS3 (पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास) से संबंधित हैं।

समाचार में क्यों है?

- 25 जुलाई 2025 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण संरक्षण (संदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम 2025 को **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** के तहत अधिसूचित किया।
- यह भारत के लिए पहला अवसर है जब रासायनिक रूप से संदूषित स्थलों की पहचान, मूल्यांकन और उपचार के लिए एक व्यवस्थित कानूनी ढांचा लागू किया गया है, जो दशकों से एक पर्यावरणीय चुनौती रहा है, लेकिन इसके लिए कोई व्यापक नियम नहीं था।

पृष्ठभूमि:

संदूषित स्थल क्या हैं?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार:

"**संदूषित स्थल वे हैं** जहां खतरनाक या अन्य कचरे का ऐतिहासिक रूप से डंप किया गया है, जिससे मिट्टी, भूमिगत जल, या सतही जल का संदूषण होने की संभावना होती है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जोखिम उत्पन्न करता है।"

- **स्रोत**: पुराने औद्योगिक क्षेत्र, रासायनिक कचरे का भंडारण, लीक, अनियंत्रित लैंडफिल, पुराने कीटनाशक भंडारण।
- **समस्या का आकार:**
  - भारत में **103 स्थल पहचाने** गए हैं।
  - **केवल 7 स्थलों** पर उपचार शुरू हुआ है।
  - कई प्रदूषक या तो बंद हो गए हैं या सफाई के लिए आवश्यक धन की कमी है।

ऐतिहासिक संदर्भ और नियमों की आवश्यकता

- अब तक रासायनिक स्थलों के उपचार पर कोई एकीकृत कानून नहीं था।
- औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (2010) का उद्देश्य था:
  1. संदूषित स्थलों की सूची तैयार करना।
  2. मूल्यांकन और सफाई के लिए मार्गदर्शन पुस्तिकाएं विकसित करना।
  3. कानूनी, संस्थागत और वित्तीय ढांचा स्थापित करना — जिसे अब 2025 के नियमों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

2025 नियमों की प्रमुख विशेषताएँ

1. **पहचान और रिपोर्टिंग**
   - जिला प्रशासन को संदिग्ध स्थलों पर **छह महीने में रिपोर्ट जमा करनी** होगी।
   - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) या नामित संदर्भ संगठन को **90 दिनों के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन करना होगा।**

2. **विस्तृत जांच**
   - प्रारंभिक निष्कर्षों के **3 महीने के भीतर**, एक पूर्ण संदूषण सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें खतरनाक रासायनिक स्तरों की पुष्टि करनी होगी (189 पदार्थ जो खतरनाक और अन्य कचरे के नियम, 2016 के तहत सूचीबद्ध हैं)।

IAS-PCS Institute

3. **सार्वजनिक खुलासा और स्थल नियंत्रण**
   - पुष्टि किए गए संदूषित स्थलों को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।
   - सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

4. **उपचार योजना**
   - संदूषित स्थल के लिए उपचार योजनाएं संदर्भ संगठन द्वारा तैयार की जाएंगी, जो उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीकों का उपयोग करेंगी (जैसे बायोरेमेडिएशन, थर्मल डेसॉर्प्शन, मिट्टी धोने की प्रक्रिया)।

5. **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत**
   - प्रदूषकों को **सफाई खर्च वहन करना होगा।**
   - अगर प्रदूषक अनुपस्थित हैं या दिवालिया हो चुके हैं, तो केंद्र/राज्य सरकार सफाई के लिए धन मुहैया कराएगी।
   - जीवन/संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी तय की जाएगी।

Result Mitra
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

छूट

नियमों में निम्नलिखित संदूषण को बाहर रखा गया है:

- रेडियोधर्मी कचरा (जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत नियंत्रित है)
- खनन कार्य
- समुद्री तेल फैलाव (वाणिज्यिक शिपिंग अधिनियम)
- नगर निगम ठोस कचरा डंप (ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016)

चुनौतियाँ

1. **कठोर समय सीमा का अभाव**
   - सफाई की समाप्ति के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होने से अनिश्चित देरी हो सकती है।

2. **तकनीकी अंतराल**
   - जटिल रासायनिक प्रदूषकों का विश्लेषण करने के लिए सीमित प्रयोगशाला क्षमता।
   - उन्नत उपचार तकनीकों की आवश्यकता जैसे **इन-सीटू थर्मल उपचार या नैनो रेमेडिएशन।**

3. **वित्तीय संकट**
    - सफाई की लागत सैकड़ों करोड़ों तक पहुँच सकती है—अगर प्रदूषक अनुपस्थित हैं तो वित्तीय अंतर हो सकता है।
4. **अधिकार क्षेत्र की ओवरलैपिंग**
    - कई कानून (जल अधिनियम, वायु अधिनियम, खतरनाक कचरे के नियम) प्रक्रियात्मक देरी का कारण बन सकते हैं।
5. **सार्वजनिक जागरूकता**
    - समुदाय अक्सर संदूषण जोखिमों के बारे में अज्ञात होते हैं; स्वास्थ्य हस्तक्षेप में देरी होती है।

न्यायिक दृष्टिकोण और लागू कानूनी सिद्धांत

- **M.C. Mehta v. Union of India (Oleum Gas Leak, 1987)** – खतरनाक उद्योगों के लिए पूर्ण जिम्मेदारी स्थापित की।
- **Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India (1996)** – एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को मान्यता दी।
- **Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India (1996)** – यह विचार मजबूत किया कि प्रदूषक को पर्यावरण को बहाल करना होगा।

2025 के नियम इन सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से लागू करने वाले ढांचे में बदलते हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ तुलना के लिए

- **USA: Superfund Program (CERCLA)** – कड़े समयसीमा निर्धारित करता है, सबसे खतरनाक साइट्स को प्राथमिकता देता है, और ऑर्फ़न साइट्स (जिसकी जिम्मेवारी किसी की तय नहीं) के लिए संघीय ट्रस्ट फंड का उपयोग करता है।
- **EU: Environmental Liability Directive** – "आधार रेखा पर बहाली" और सीमा पार संदूषण मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **China: New Soil Pollution Prevention and Control Law** – प्रदूषक जिम्मेदारी और ऐतिहासिक प्रदूषण के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य करता है।

भारत के लिए सीख: स्पष्ट समय सीमाएँ और समर्पित वित्तीय पूल आवश्यक हैं।

उदाहरण

- **भोपाल गैस त्रासदी स्थल** – **यूनियन कार्बाइड संयंत्र** के कचरे से भूमिगत जल का लगातार संदूषण।
- **इलूर, केरल** – **औद्योगिक रसायनों से पेरियार नदी के संदूषण** से कैंसर की उच्च घटना।
- **कानपुर चमड़ा टैन्निंग बेल्ट** – **क्रोमियम डिस्चार्ज** से भारी धातु से मिट्टी का संदूषण।

आगे का रास्ता

1. **समयबद्ध उपचार** – पहचान के बाद कानूनी समयसीमा तय करें।
2. **क्षमता निर्माण** – SPCB प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करें, कर्मचारियों को उन्नत उपचार तकनीक में प्रशिक्षित करें।

3. **वित्तीय तंत्र** – उद्योग से अधिभार लेकर एक राष्ट्रीय संदूषित स्थल कोष बनाएँ।
4. **समुदाय की सहभागिता** – संदूषण स्थिति के लिए सार्वजनिक सुनवाई और पारदर्शिता पोर्टल्स।
5. **स्वास्थ्य निगरानी** – प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक महामारी अध्ययन।

निष्कर्ष

- पर्यावरण संरक्षण (संदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 भारत के पर्यावरण शासन में एक बहुप्रतीक्षित सुधार हैं। ये प्राधिकृत संस्थाओं को रासायनिक संदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से सक्षम बनाते हैं — जो एक मौन लेकिन गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है।हालांकि, इनका वास्तविक प्रभाव कड़े कार्यान्वयन समयसीमाओं, तकनीकी तत्परता और वित्तीय प्रावधानों पर निर्भर करेगा। यदि इन्हें प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो ये भारत की विषैली धरोहर को पर्यावरणीय पुनर्स्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, और सतत औद्योगिक विकास के अवसर में बदल सकते हैं।

UPSC प्रिलिम्स के पिछले साल के प्रश्न

प्रश्न:निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: **(प्रिलिम्स 2019)**

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारतीय सरकार को पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता और इसे कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में नियम तय करने का अधिकार प्रदान करता है।
2. यह अधिनियम भारतीय सरकार को विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक तय करने का अधिकार प्रदान करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/कौन सी सही हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) दोनों 1 और 2

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

UPSC मेन्स के पिछले साल के प्रश्न

प्र. भारत में खतरनाक कचरा निस्तारण से संबंधित पर्यावरणीय और नैतिक चिंताएँ क्या हैं? इन मुद्दों को हल करने के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव दें।

(2023)